



बिहार BIHAR

(०८५) रामाधार सिंह पिटाकरा - देवधारी सिंह क्षात्री जुड़ा
उद्योग शास्त्री वैज्ञानिक जहानाबाद

K 448111


हृष्णमल्लसाम
हरनाय सहाय
मुद्रांक विक्रेता, जहानाबाद
लाठो नं०-18/71

13404
20131204

24 FEB 2014

"प्रारूप-26"

(नियम 4क देखिए)



Amritpal
22-3-2014.

16 Date: 22 MAR 2014 3.30 P.M.
लोक सभा
36-जहानाबाद..... निर्वाचन क्षेत्र से(निर्वाचन क्षेत्र का नाम).....
.....(सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अध्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला
शपथ-पत्र।

मैं..... रामाधार सिंह घाग-क
युव/पुर्णी/सती..... स्व० देवधारी सिंह
आयु..... 58 वर्ष, जो..... शहीद भगत सिंह नगर, पूर्वी ऊँटा, जहानाबाद
पत्रालय, थाना एवं जिला-जहानाबाद (डाक का

पर्याप्त पता लिखें) का/की निवासी हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन से अध्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ शपथ
निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ-

218. पारा रोड



- (1) मैं कम्पनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) (लिबरेशन) (राजनीतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अध्यार्थी/एक स्वतंत्र अध्यार्थी के रूप में लड़ रहा है।
(जो लागू न हो उसे काट दे)
- (2) मेरा नाम..... 216-जहानाबाद, विधान सभा, बिहार....(निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) मे भाग सं0..... 206..... के क्रम सं0..... 015..... पर प्रविष्ट है।
- (3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं..... 9431617861..... है,
मेरा ई-मेल आईडी(यदि कोई हो तो)..... 9431617861..... है
एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स(यदि कोई हो)..... 9431617861..... है।
- (4) स्थाई लेखा संख्याक(पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्राप्ति-

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय(रूपए में)
1	स्वयं	✗ <u>9431617861</u>	✗ <u>9431617861</u>	✗ <u>9431617861</u>
2	पति या पत्नी	✗ <u>9431617861</u>	✗ <u>9431617861</u>	✗ <u>9431617861</u>
3	आश्रित-1	✗ <u>9431617861</u>	✗ <u>9431617861</u>	✗ <u>9431617861</u>
4	आश्रित-2	✗ <u>9431617861</u>	✗ <u>9431617861</u>	✗ <u>9431617861</u>
5	आश्रित-3	✗ <u>9431617861</u>	✗ <u>9431617861</u>	✗ <u>9431617861</u>

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें समक्षम अधिकारित वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं। यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी।

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/ संख्याएँ

(i) जहानाबाद थाना कांड संख्या (केस संख्या) :- 132/04

(ii) करपी थाना कांड संख्या (केस संख्या) :- 40/97

(iii) कुर्था थाना कांड संख्या (केस संख्या) :- 109/92

रामधार सिंह



- (ख) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है ।
- धारा :- 188 भा.द.वि.
 - धारा :- 153 (ए) भा.द.वि. तथा 17 सी.एल.एकट
 - धारा :- 147, 148, 149, 323, 324, 337, 307, 120 (बी) भा.द.वि. 27 आम्स. एकट ।
- (ग) न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख
- मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, जहानाबाद ट्रायल नं० 291/2013; संज्ञान की तारीख - 27.8.1998
 - मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, जहानाबाद ट्रायल नं० 2007/2013 ; संज्ञान की तारीख 15.4.2006
 - मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, जहानाबाद ट्रायल नं० 435/2010 ; संज्ञान की तारीख 05.8.1996
- (घ) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई
- एस. के. राय न्यायिक दण्डाधिकारी, जहानाबाद ।
 - एस. के. राय न्यायिक दण्डाधिकारी, जहानाबाद ।
 - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जहानाबाद ।
- (ङ) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे
- 19.09.2000
 - लम्बित (हाई कोर्ट के आदेशानुसार)
 - 20.04.2012
- (च) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं - हाँ, करपी थाना कांड संख्या 40/97 पटना हाई कोर्ट द्वारा रोक लगाई गई । नं० :- 28902/2000

रामपाल सिंह



(ii) निम्नलिखित मामला(मामले) मेरे विरुद्ध लोकित है/है जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है
 {पूर्वांकित}

मदद(i) में वर्णित मामलों से भिन्न)-


(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	२२०८
(ख)	उन मामलों के ब्योरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके(जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	२२०८
(ग)	पूर्वांकित आदेश(आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील(अपीलों)/आवेदन(आवेदनों)(यदि कोइ हो) के ब्योरे	२२०८

(6.) मुझे किसी अपराध(अपराधों)(लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951(1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा(1) या उपधारा(2) में निर्दिष्ट या उपधारा(3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध(अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धोष ठहराया गया है/नहीं उठराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है-

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा-

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है-

(क)	उन मामलों के ब्योरे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा(धाराएं) और अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके(जिनके) लिए सिद्धोष ठहराया गया है	२२०८
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	२२०८
	अधिरोपित दंड	२२०८



रामायर राज

(घ)	क्या सिद्धांश ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हाँ, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्राप्ति	<i>मूल्य</i>
-----	---	--------------

(7). मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सधी आश्रितों की आस्तियों(जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे:-

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख स्कीम बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित

ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिवेंचरों का मूल्य स्टॉक एवं सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - यहाँ आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण(5) में है।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिये जाने हैं।

✓ ✓ मैं इसके द्वारा अपना, पति/पत्नी तथा अपने आश्रितों की परिसम्पत्तियों (अचल/चल/बैंक जमा आदि) का विवरण इसके नीचे दे रहा हूँ।

क्रम सं	विवरण	स्वयं	पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	3000/-	3000/-	<i>मूल्य</i>	<i>मूल्य</i>	<i>मूल्य</i>
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं) वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहायी सोसाइटियों के पास जमा और प्रत्येक जमा में रकम	मगध ग्रामीण बैंक शाखा-पिंजौरा, जहानाबाद 4392.00 रु० मात्र	एस.बी.आई बैंक A/C :- 33510551567 50000.00र	<i>मूल्य</i>	<i>मूल्य</i>	<i>मूल्य</i>



रामाधार सिंह


क्रम सं	विवरण	स्वयं	पली	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	₹२०५	₹२०८	₹२०८	₹२०८	₹२०८
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम।	₹२०५	₹२०८	₹२०८	₹२०८	₹२०८
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम।	₹२०८	₹२०८	₹२०८	₹२०८	₹२०८
(vi)	मोटरसायान/वायुयान/याट/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	मोटर साइकिल TVS-1 BR25A-9663 कीमत-41895.00 ₹	₹१०५	₹२०८	₹२०८	₹२०८
(vii)	जेवरात, बुलियन और मुल्यवान वस्तु (वस्तुए) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	Nill	सोना-6 ग्राम 18000.00 ₹ चाँदी-50 ग्राम 2650.00 ₹	₹२०८	₹२०८	₹२०८
(viii)	कोई अन्य आस्तियाँ जैसे कि दावों/हित का मूल्य	नोकिया मोबाइल कीमत-4100.00 ₹	Nill	Nill	₹१०८	₹२०८
(ix)	समग्र कुल मूल्य	53,387.00 ₹	73,650.00 ₹	₹२०८	₹२०८	₹२०८

(आ) अचल परिपरिस्थितियों का विवरण


टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।
 टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं	विवरण	स्वयं	पली	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (वास्तवियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	₹२०८	₹२०८	₹२०८	₹२०८	₹२०८
	Om Prakash Jehkalapak एकड में कुल माप) Regd. No.-7347M2	₹२०८	1.67 डी० खाता नं- 743, 896, 628, 638, 1001, 206, 1000 प्लॉट नं- 663	₹२०८	₹२०८	₹२०८

रामायर रिंग



क्रम सं	विवरण	स्वयं	पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	✓	सास द्वारा	✓	✓	✓
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	✓	✓	✓	✓	✓
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	✓	✓	✓	✓	✓
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	✓	✓	✓	✓	✓
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	✓	करोब तीन लाख रुपये	✓	✓	✓
	गैर कृषि भूमि- अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याएँ	✓	6 डी० खाता- 1000 प्लॉट-663 (खपैल मकान)	✓	✓	✓
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	✓	दो कट्टा	✓	✓	✓
(ii)	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	✓	✓	✓	✓	✓
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	✓	✓	✓	✓	✓
	समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	✓	✓	✓	✓	✓



रामायर राई

	विकास, सनिर्माण आदि के भाग्यम से भूमि पर कोई विनिधान	₹२००	₹२००	₹२००	₹२००	₹२००
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	₹२००	डेढ़ लाख रु० करीब	₹२००	₹२००	₹२००
	वणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	₹२००	₹२००	₹२००	₹२००	₹२००
	क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	₹२००	₹२००	₹२००	₹२००	₹२००
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हा या नहीं)	₹२००	₹२००	₹२००	₹२००	₹२००
(iii)	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	₹२००	₹२००	₹२००	₹२००	₹२००
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	₹२००	₹२००	₹२००	₹२००	₹२००
	विकास, सनिर्माण आदि के भाग्यम से भूमि पर कोई विनिधान	₹२००	₹२०५	₹२००	₹२०५	₹२००
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	₹२००	₹२००	₹२००	₹२००	₹२००
	आवासीय भवन(अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति(अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक(संख्याएँ)	₹२००	₹२००	₹२००	₹२००	₹२००
	क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	₹२००	₹२००	₹२००	₹२००	₹२००
(iv)	निर्मित क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	₹२००	₹२००	₹२००	₹२००	₹२००
	विरासत में आई संपत्ति है(हा या नहीं)	₹२००	₹२००	₹२००	₹२००	₹२००
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	₹२००	₹२००	₹२००	₹२००	₹२००




रामायार राय

	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	अनुमतिवाला बाजार मूल्य	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
(i)	अन्य(जैसे कि संपत्ति में हित)	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
(ii)	पूर्वोत्तर (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	शुल्क	परालाख परालाख परालाख परालाख	शुल्क	शुल्क	शुल्क

(8). मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ-

(टिप्पण - कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक् विवरण दें)

क्रम सं	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था(संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति)	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	कोई अन्य दायित्व	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	दायित्वों का कुल योग	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	सरकारी शोध्य - सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
(ii)	आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क



रामायार खंड

	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	₹२००	₹१००	₹१००	₹५०	₹१००
	सरकारी परिवहन(वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	₹२००	₹१००	₹१००	₹१००	₹१००
	आय-कर शोध्य	₹१००	₹१००	₹१००	₹१००	₹१००
	धनकर शोध्य	₹२००	₹१००	₹१००	₹१००	₹१००
	सेवाकर शोध्य	₹१००	₹१००	₹१००	₹१००	₹१००
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	₹१००	₹१००	₹१००	₹१००	₹१००
	विक्रयकर शोध्य	₹१००	₹१००	₹१००	₹१००	₹१००
	कोई अन्य शोध्य	₹१००	₹१००	₹१००	₹१००	₹१००
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	₹२००	₹१००	₹१००	₹१००	₹१००
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हाँ तो अंतर्वर्लित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	₹१००	₹१००	₹१००	₹१००	₹१००

(9). वृति या उपजीविका के ब्यौरे:-

(क) स्वयं..... राजनीति

(ख) प्रति या पली..... कृषि कार्य/गृहणी


(10). मेरी शैक्षिक अहर्ता नीचे दिये अनुसार है-

1. मैट्रिक-1971 - सर्वोदय उच्च विद्यालय लारी, कुर्था (बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

नोटरी आई (फीटर ट्रैड) - 1973 - गया, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गया

Om Prakash/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा को ब्यौरे जैवनामा/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम भूरा किया गया था, का ब्यौरा दें।

रामा धार बिंदु



भाग-ख

(11). भाग-क के (1) से (10) तक दिये गये व्यौरे का उद्धरण

1	अध्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कुमार - रामाधार सिंह		
2	दाक का पता	शहीद भगत सिंह नगर, पूर्वी ऊँटा, पत्रालय+धाना+ जिला-जहानाबाद (बिहार)		
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	36- जहानाबाद, बिहार , २४६-जहानाबाद		
4	उस राजनीतिक दल का नाम जिसने अध्यर्थी को खड़ा किया है(अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) (लिबरेशन)		
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	3 (तीन)		
5	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है(उपर मद (1) उल्लिखित मामलों से भिन्न)	3 (तीन)		
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है(लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा(1), उपधारा(2) या उपधारा(3) में निर्दिष्ट अपराधों के सुविवांग)	नहीं		
7	(क) अध्यर्थी	मृत्यु का स्थायी लेखा संख्या	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय
	(ख) पति या पत्नी			



रामाधार सिंह

	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे(रूपये में)					
8	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	ज़ंगम आस्तियां(कुल मूल्य)	₹ 1.3	₹ 1.3	₹ 1.3	₹ 1.3	₹ 1.3
	स्थावर आस्तियां	₹ 1.3	₹ 1.3	₹ 1.3	₹ 1.3	₹ 1.3
ख	1 स्वअर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	₹ 1.3	₹ 1.3	₹ 1.3	₹ 1.3	₹ 1.3
	II क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत(यदि लागू हो)	₹ 1.3	₹ 1.3	₹ 1.3	₹ 1.3	₹ 1.3
	III निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	₹ 1.3	₹ 1.3	₹ 1.3	₹ 1.3	₹ 1.3
	(क) स्वर्जित आस्तियां(कुल मूल्य)	₹ 1.3	₹ 1.3	₹ 1.3	₹ 1.3	₹ 1.3
	(ख) विरासती आस्तियां(कुल मूल्य)	₹ 1.3	₹ 1.3	₹ 1.3	₹ 1.3	₹ 1.3
	दायित्व	₹ 1.3	₹ 1.3	₹ 1.3	₹ 1.3	₹ 1.3
9	(i) सरकारी शोध्य(कुल 0)	₹ 1.3	₹ 1.3	₹ 1.3	₹ 1.3	₹ 1.3
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण(कुल)	₹ 1.3	₹ 1.3	₹ 1.3	₹ 1.3	₹ 1.3
	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है					
10	(i) सरकारी शोध्य(कुल 0)	₹ 1.3	₹ 1.3	₹ 1.3	₹ 1.3	₹ 1.3
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण(कुल)	₹ 1.3	₹ 1.3	₹ 1.3	₹ 1.3	₹ 1.3



प्रमाणपत्र/डिलोग्राफी पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/ विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए, विद्यालय/विश्वविद्यालय/ विष्वविद्यालय

रामप्रकाश

सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि -

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन कोइ दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है।

(छ) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख..... 22 MAR 2014को सत्यापित किया गया।



Attested
Arvind Kumar
Advocate
22-03-2014

RIMIYAR RICE

अभिसाक्षी

Om Prakash
22.3.14



22 MAR 2014

Authorised U/S 2 (d) or
The Notaries Act 53 of 1952

टिप्पण - 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण - 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिशनर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण - 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो यथास्थित शून्य या लागू नहीं होता उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण - 4. शपथपत्र टॉकित या सुपाठयरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण - 5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य के मामले में अध्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अध्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी अध्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मारं देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो शून्य या लागू नहीं या जात नहीं जो उपयुक्त हो ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अध्यर्थी स्मारं दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण - 6. शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

मेरा दूरभाष संपर्क संख्या/संख्याएँ हैं/हैं.....मोबाईल नं. — 943161786

मेरा ई-मेल आईडी(अगर कोई हो) है.....वून्म

एवं मेरा सोशल मीडिया एकांटस(अगर कोई हो) है.....वून्म